



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092021-229857
CG-DL-E-22092021-229857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3566]
No. 3566]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 3890(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में NH233 के कि.मी. 164.75 से कि.मी.180.42 (क्लेक्ट्रेट आजमगढ़) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "10.01.2021 " को "हिन्दुस्तान " और "टाइम्स आफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में NH233 के कि.मी. 164.75 से कि.मी.180.42 (कलेक्ट्रेट आजमगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: आजमगढ़					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बुरहानपुर				
	गांव का नाम: दसवां खास				
1	289	निजी	कृषिक	0.0384	नूर मोहम्मद पुत्र बरसाती, विद्या प्रसाद पुत्र लौटू, श्रीमती मनभावती देवी पत्नी दूधनाथ, श्रीमती समरूलनिष्ठा पत्नी नूर मोहम्मद (289)
2	290	निजी	कृषिक	0.007	नूर मोहम्मद पुत्र बरसाती, विद्या प्रसाद पुत्र लौटू (290)
	गांव का नाम: लोहरा				
3	1969	निजी	कृषिक	0.1508	प्रेमचन्द्र, लालचन्द्र, रामप्रताप, व भीम पुत्रगण राजबली (1969)
4	2111/3302	निजी	कृषिक	0.0027	लालमनि पुत्र टुनमुन (2111/3302)
5	2156	निजी	कृषिक	0.0033	पद्म पुत्र जंगली (2156)
	गांव का नाम: महरूपुर				
6	249	निजी	कृषिक	0.115	राधेष्णाम, परसूराम, महेन्द्र, योगेन्द्र, हर्षराम पुत्रगण रामपति (249)

	गांव का नाम: मोहम्मद पुर				
7	123	निजी	कृषिक	0.025	सुन्दर पुत्र कोदई (123)
8	127	निजी	कृषिक	0.0256	रामसम्हारे, साहिबदीन, द्वारिका, कन्हैया पुत्रगण कुलबुल, धरभरन पुत्र जगदीष, रामधनी पुत्र सूर्यबली, रामसूरत पुत्र रामअवतार, विजयप्रताप पुत्र रामहित, हरिष्चन्द्र व हरेन्द्र पुत्र सोमई, जय मंगल पुत्र लालसप्रसाद, मुसाफिर, जयराम, हरिष्चन्द्र, हरीराम पुत्रगण दशरथ व सुरसती पत्नी दशरथ (127)
9	138	निजी	कृषिक	0.0237	रामनिहोर व राजदेव पुत्रगण रामसमुझ, प्रेमा देवी पत्नी रामसमुझ, रामअजोर, रामआसरे, राजेष, भागीरथी पुत्रगण शिवराज (138)
	गांव का नाम: सर्कार पट्टी				
10	91m	निजी	कृषिक	0.017	जमुना पुत्र रामरथी, रामपलट पुत्र रामरूप, रविन्दर पुत्र अखिलेश, दीपक कुमार ना. उम्र 8 वर्ष पुत्र देवेन्द्रकुमार स. रामदवर नाना (91 मि0)
			कुल	0.4085	

[फा. सं. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3890(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH233 on the stretch of land from Km. 164.75 to Km. 180.42 (Collectorate Azamgarh) in the district of AZAMGARH in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “Times of India” both dated 10.01.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH233 in the stretch of land from Km. 164.75 to Km. 180.42 (Collectorate Azamgarh) in the district of AZAMGARH in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: AZAMGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Burhanpur				
	Village: Dasawan Khas				
1	289	Private	Agriculture	0.0384	Noor Mohammad S/o Barsati, Vidhya Prasad S/o Lauto, Smt. Manbhawati Devi W/o Doodhnath, Smt. Samrulnisha W/o. Noor Mohammad 289
2	290	Private	Agriculture	0.007	Noor Mohammad S/o Barsati, Vidhya Prasad S/o Lauto 290
	Village: Lohra				
3	1969	Private	Agriculture	0.1508	Premchand, Lalchand, Rampratap, Bheem S/o. Rajbali 1969
4	2111/3302	Private	Agriculture	0.0027	Lalmani S/o Tunmun 2111/3302
5	2156	Private	Agriculture	0.0033	Paddan S/o Jangli 2156
	Village: Maharupur				
6	249	Private	Agriculture	0.115	Radheshaym, Parsuram, Mahendra, Yogendra, Harshram S/o Rampati 249
	Village: Mohammad Pur				
7	123	Private	Agriculture	0.025	Sunder S/o Kodayi 123
8	127	Private	Agriculture	0.0256	Ram Samhare, Sahib Deen, Dwarika, Kanhaiya S/o Kulbul, Dharbaran S/o Jagdish, Ramdhani S/o Suryabali, Ramsurat S/o Ramawatar, Vijay Pratap S/o Ramhit, Harishchand, Harendra S/o Somai, Jaimangal S/o Lalsa Prasad,

					Musafir, Jayram, Harishchand, Hariram, Sursati S/o. Dashrath 127
9	138	Private	Agriculture	0.0237	Ramnihor, Rajdev S/o Ramsamujh, Parma Devi W/o Ramsamujh, Ramajor, Ram Asare, Rajesh, Bhagirathi S/o Shivraj 138
	Village: Sarkar Patti				
10	91m	Private	Agriculture	0.017	Jamuna S/o Ramrathi, Rampalat S/o Ramroop, Ravinder S/o Akhilesh, Deepak Kumar Na Umra 8 Year S/o Devendra Kumar 91 M
			TOTAL	0.4085	

[F. No. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3D]

RAJESH GUPTA, Director